पत्र संख्या–15/डी0 एल0 ए0–गया (पर्यटन)–07/13 – 2147/रा.

# बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू अर्जन शाखा)

## अधिसूचना

संख्या 15/डी०एल०ए०, ..................रा० दिनांक –03–09–13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम– मोचारिम, थाना नं० 424 अंचल बोधगया थाना बोधगया, जिला–गया के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् मुचलिंद सरोवर के विस्तार एवं अन्य पर्यटकीय सुविधाओं के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसके लिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वाक्त ग्राम– मोचारिम, थाना नं० 424 अंचल बोधगया थाना बोधगया, जिला–गया के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक कमोवेश रकवा 3.33 एकड़ होता है जिसका सर्व खेसरा निम्नांकित है –

पूर्ण खेसराः– 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2037/7708, 2038, 2039, 2040, 2041, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2060,

चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर –खेसरा संख्या – 2027 रास्ता

दक्षिण –खेसरा सं० 2042, 2043, 2050, 2068, 2067, 2069

पूरब – खजवती बोधगया रोड

पश्चिम – खेसरा सं० 2059 सरोवर

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1884 की धारा 4 के उपबन्धों के अधिन (यथा बिहार अधिनियम सन् 1961 संशोधित अधिनियम (1984) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसको इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया के कार्यालय में देखां जा सकता है बिहार सरकार जिला भू अर्जन पदाधिकारी, गया और उनके कर्मचारी को भूमि पर जाने आने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (2) में उपबंधित या विनिदृष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लए अपेक्षित अन्य सभी कार्य के लिए प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार के निश्चय किया है कि प्रयोजना का शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा–5ए के उपबंध लागू नहीं होगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ह०)

सरकार के अवर सचिव

(ह०) 6/9/13

समाहर्ता,

गया।

ज्ञापांक संख्या–15/डी0 एल0 ए0–गया (पर्यटन)–07/13 – 2147/रा0

ज्ञापांक ........~~/डी०एल०ए०, पहुँच पथ~~............/रा० दिनांक – 03 – 09 – 13

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को प्रारूप की तीन प्रतियों में सी०डी० सहित दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू अर्जन पदाधिकारी, गया को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट शाखा, समाहरणालय, गया को जिला गजट को अगला असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 प्रतियों विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

2/9/13

सरकार के अवर सचिव